

# डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन व  
इजलास उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन  
उनवान

1. देवीसिंह पुत्र जगन
2. बृजमोहन पुत्र कमल
3. ऋषिकेश पुत्र राजपाल
4. मु० गोपाली पुत्री जगन जातियान मीना निवासी कटकड

1. तहसीलदार जी तह० हिण्डौन
2. बरफी पुत्र जगन पत्नि अमृतलाल जाति मीना निवासी ऑफीसर्स फ्लेट सं० बी-3/24 नेहरु पथ राजवंशी नगर पटना (बिहार)

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात

मुकदमा नं० 1260 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबई मुझ सुरेश कुमार यादव आर.ए.एस. व हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण मिलकानिब गुदई रुबरु—मिनजोनिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण श्री देवी सिंह पुत्र जगन जाति मीना को खसरा नं० 3361/3 रकबा 0.58 है०, 3361/8 रकबा 0.32 है० किस्म बारानी 3, बृजमोहन पुत्र कमल जाति मीना को खसरा नंबर 3361/1 रकबा 0.38 है०, 3361/6 रकबा 0.19 है०, 3361/9 रकबा 0.34 है० किस्म बारानी 3, ऋषिकेश पुत्र राजपाल जाति मीना को खसरा नंबर 3361/2 रकबा 0.37 है०, 3361/7 रकबा 0.10 है०, 3361/12 रकबा 0.44 किस्म बारानी 3, गोपाली पुत्री जगन जाति मीना को खसरा नंबर 3361/10 रकबा 0.45 है० बारानी 3 इसी प्रकार प्रतिवादी गण बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल जाति मीना खसरा नं० 3361/4 रकबा 0.45 है०, देवीसिंह पुत्र जगन हिस्सा 1/4, बृजमोहन पुत्र कमल हिस्सा 1/4, ऋषिकेश पुत्र राजपाल हिस्सा 1/4, गोपाली पुत्री जगन हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 2 बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल हिस्सा 1/8 द्वारा शामिली रास्ता 3361/5 रकबा 0.02 है०, 3361/11 रकबा 0.03 है० तहसीलदार हिण्डौन निर्देश दिये जाते हैं कि वादीगण व प्रतिवादी नं० 2 के मध्य बंटवारा स्कीम अनुसार हुए बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे।

निज X मुबलिंग X बावत X खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह X फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह अगस्त सन् 2020 को जारी की गई।



दस्तखत..... 04/08/2020

अहदा उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करीली)

मुदई	रुपयाना	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस गवाहान फीस कमिश्नर बावतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी  
पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार यादव आर.ए.एस.

मिसल नंबर 1260/2020  
तारीख रजु 14.07.2020

आर.सी.एम.एस. 00142/2020

देवी सिंह पुत्र जगन बगैौ जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

वादीगण 04

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल जाति मीना निवासी ऑफिसर्स फ्लेट संख्या बी-3/24 नेहरू पथ राजवंशी नगर पटना बिहार मो0नं0 8700540319

प्रतिवादीगण (02)

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री अशोक नीमनका, एडवोकेट  
प्रतिवादीगण की ओर से:- अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-04.08.2020

सक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा खिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा 53 आर.टी.ए. के तहत पेश कर अवगत कराया गया है कि ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के आराजी खसरा नंबर 3361 रकबा 3.67 है0 वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादीगण का हिस्सा देवी सिंह पुत्र जगन हिस्सा 1/4, बृजमोहन पुत्र कमल हिस्सा 1/4, ऋषिकेश पुत्र राजपाल हिस्सा 1/4, गोपाली पुत्री जगन हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नं0 2 का हिस्सा 1/8 है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ने वाहमी बंटवारे से खसरा नं0 3361 को 10 भागों में विभाजित किया हुआ है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 बजमाने बुजुमन से इसी प्रकार काबिज एवं दखील हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 के मध्य रोड साईड को लेकर जमीन को बंटवारे में आये दिन मनमोटाव की स्थिति बनी रहती है। वादीगण समस्त आराजी का विधिवत बंटवारा कराने को सहमत हैं। जिसके लिए उन्होंने श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष दिनांक 12.07.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी मूल प्रति मूल दावे के साथ संलग्न है लेकिन प्रतिवादी नं0 2 की असहमति के कारण श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन ने आराजी का विधिवत बंटवारे करने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए दावा उक्त खसरा नंबरों में व बहिस्सा बराबर की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात का अमल दरामद समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड एवं कागजात पटवार में फरमाते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 2 के नाम उपरोक्तानुसार अलग-अलग खातेदारी कायम तथा अलग-अलग सरकारी लगान कायम फरमाने के आदेश के लिए हाजा प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

दावा वादीगण दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों की विधिवत तामील होने के बावजूद भी नियत दिवस को उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 17.07.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने अपने वाद पत्र को साबित करने के लिये दावे के साथ सूची में वर्णित प्रमाणित जमाबंदी नकल संवत् 2071-74 व नक्शा ट्रेस प्रति पेश की गई एवं वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 2 के मध्य विधिवत बंटवारा करने हेतु उक्त खसरा नंबरों के रकबों के अनुसार सहमति पत्र पेश किया गया। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौरान बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए हिस्से अनुसार विभाजन करने का निवेदन करते हुए अलग खाता कायम करने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार भू०अ० हिण्डौन से प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2020 के प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा स्कीम तैयार कर पेश की गई। जिसमें वादीगण श्री देवी सिंह पुत्र जगन जाति मीना को खसरा नं० 3361/3 रकबा 0.58 है०, 3361/8 रकबा 0.32 है० किस्म बारानी 3, बृजमोहन पुत्र कमल जाति मीना को खसरा नंबर 3361/1 रकबा 0.38 है०, 3361/6 रकबा 0.19 है०, 3361/9 रकबा 0.34 है० किस्म बारानी 3, ऋषिकेश पुत्र राजपाल जाति मीना को खसरा नंबर 3361/2 रकबा 0.37 है०, 3361/7 रकबा 0.10 है०, 3361/12 रकबा 0.44 किस्म बारानी 3, गोपाली पुत्री जगन जाति मीना को खसरा नंबर 3361/10 रकबा 0.45 है० बारानी 3 इसी प्रकार प्रतिवादी गण बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल जाति मीना खसरा नं० 3361/4 रकबा 0.45 है०, देवीसिंह पुत्र जगन हिस्सा 1/4, बृजमोहन पुत्र कमल हिस्सा 1/4, ऋषिकेश पुत्र राजपाल हिस्सा 1/4, गोपाली पुत्री जगन हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 2 बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल हिस्सा 1/8 द्वारा शामिली रास्ता 3361/5 रकबा 0.02 है०, 3361/11 रकबा 0.03 है० की विभाजन स्कीम वादीगण संख्या 1,2,3,4 की मौजूदगी में की गई। बंटवारा स्कीम शामिल पत्रावली की गई।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 36 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं० 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादीगण देवी सिंह पुत्र जगन हिस्सा 1/4, बृजमोहन पुत्र कमल हिस्सा 1/4, ऋषिकेश पुत्र राजपाल हिस्सा 1/4, गोपाली पुत्री जगन हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी नं० 2 का हिस्सा 1/8 है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के प्रावधानों के अनुसार सह खातेदार अपने हिस्से अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2020 के प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा स्कीम तैयार कर पेश की गई। जिसमें वादीगण श्री देवी सिंह पुत्र जगन जाति मीना को खसरा नं० 3361/3 रकबा 0.58 है०, 3361/8 रकबा 0.32 है० किस्म बारानी 3, बृजमोहन पुत्र कमल जाति मीना को खसरा नंबर 3361/1 रकबा 0.38 है०, 3361/6 रकबा 0.19

उपखण्ड अधिकारी  
डिस्ट्रिक्ट सिटी (करोली)

है0, 3361/9 रकबा 0.34 है0 किस्म बारानी 3, ऋषिकेश पुत्र राजपाल जाति मीना को खसरा नंबर 3361/2 रकबा 0.37 है0, 3361/7 रकबा 0.10 है0, 3361/12 रकबा 0.44 किस्म बारानी 3, गोपाली पुत्री जगन जाति मीना को खसरा नंबर 3361/10 रकबा 0.45 है0 बारानी 3 इसी प्रकार प्रतिवादी गण बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल जाति मीना खसरा नं0 3361/4 रकबा 0.45 है0, देवीसिंह पुत्र जगन हिस्सा 1/4, बृजमोहन पुत्र कमल हिस्सा 1/4, ऋषिकेश पुत्र राजपाल हिस्सा 1/4, गोपाली पुत्री जगन हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 2 बरफी पुत्री जगन पत्नि अमृत लाल हिस्सा 1/8 द्वारा शामिली रास्ता 3361/5 रकबा 0.02 है0, 3361/11 रकबा 0.03 है0 की विभाजन स्कीम वादीगण संख्या 1,2,3,4 की मौजूदगी में की गई। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 अपने हिस्से का विभाजन कराने के अधिकारी है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नं0 2 बाबत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत डिकी किया जाता है साथ ही तहसीलदार हिण्डौन निर्देश दिये जाते हैं कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 के मध्य बंटवारा स्कीम अनुसार हुए बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे एवं डिकी अलग से जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



04/08/2020  
(सुदेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

